



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-3, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश विधान मण्डल के विधेयक)

लखनऊ, मंगलवार, 27 सितम्बर, 2022

आश्विन 5, 1944 शक सम्वत्

विधान सभा सचिवालय

उत्तर प्रदेश

(संसदीय अनुभाग)

संख्या 1315/वि०स०/संसदीय/123(सं)-2022

लखनऊ, 20 सितम्बर, 2022

अधिसूचना

प्रकीर्ण

उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2022, जो उत्तर प्रदेश विधान सभा के दिनांक 20 सितम्बर, 2022 के उपवेशन में पुरःस्थापित किया गया, उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 126 के अन्तर्गत एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2022

उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 का अग्रतर संशोधन करने के लिए
विधेयक

भारत गणराज्य के तिहत्तरवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

1-(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2022
कहा जायेगा।

(2) इस अधिनियम में अन्यथा उपबंधित के सिवाय,-

(क) इस अधिनियम की धारा 1, तारीख 30 मार्च, 2022 से प्रवृत्त होगी;

(ख) इस अधिनियम के अन्य उपबंध, उस तारीख को प्रवृत्त होंगे जैसा कि राज्य
सरकार गजट में अधिसूचना द्वारा नियत करे:

परंतु यह कि इस अधिनियम के भिन्न-भिन्न उपबंधों के लिए भिन्न-भिन्न तारीखें नियत की
जा सकती हैं।

संक्षिप्त नाम और
प्रारम्भ

धारा 16 का संशोधन

2-उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है) में, धारा 16 में, -

(क) उपधारा (2) में,--

(i) खंड (ख) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात्:

"(खक) धारा 38 के अधीन ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को संसूचित उक्त पूर्ति के संबंध में इनपुट कर प्रत्यय का विवरण निरबंधित नहीं किया गया है;"

(ii) खंड (ग) में, शब्द, अंक और अक्षर "या धारा 43क" निकाल दिये जायेंगे;

(ख) उपधारा (4) में, शब्द और अंक "सितम्बर मास के लिए धारा 39 के अधीन विवरणी के दिये जाने की देय तारीख" के स्थान पर, शब्द " तीस नवम्बर" रख दिये जायेंगे।

धारा 29 का संशोधन

3-मूल अधिनियम की धारा 29 में, उपधारा (2) में,--

(क) खंड (ख) में, शब्द "तीन क्रमवर्ती कर अवधियों तक विवरणी " के स्थान पर, शब्द "उक्त विवरणी प्रस्तुत किये जाने की देय तारीख से तीन माह से अधिक की वित्तीय वर्ष की विवरणी " रख दिये जायेंगे;

(ख) खंड (ग) में, शब्द "लगातार छह मास की अवधि" के स्थान पर, शब्द "ऐसी निरंतर कर अवधि जैसी विहित की जाये" रख दिये जाएंगे।

धारा 34 का संशोधन

4-मूल अधिनियम की धारा 34 में, उपधारा (2) में, शब्द "सितम्बर मास " के स्थान पर, शब्द "तीस नवम्बर" रख दिये जायेंगे।

धारा 37 का संशोधन

5-मूल अधिनियम की धारा 37 में,--

(क) उपधारा (1) में, -

(i) शब्द "इलेक्ट्रॉनिक रूप में" के पश्चात्, शब्द "ऐसी शर्तों और निर्बंधनों के अध्यधीन और" बढ़ा दिये जाएंगे;

(ii) शब्द "उक्त पूर्तियों के प्राप्तकर्ता को ऐसी समयावधि के भीतर और ऐसी रीति में, जो विहित की जाये, संसूचित किये जायेंगे", के स्थान पर शब्द " उक्त पूर्तियों के प्राप्तकर्ता को ऐसी शर्तों और निर्बंधनों के अध्यधीन, ऐसी समयावधि के भीतर और ऐसी रीति में, जो विहित की जाये, संसूचित किये जायेंगे" रख दिये जायेंगे;

(iii) प्रथम परंतुक निकाल दिया जाएगा;

(iv) द्वितीय परंतुक में, शब्द "परंतु यह और कि" के स्थान पर, शब्द "परंतु यह कि" रख दिये जायेंगे;

(v) तृतीय परंतुक में, शब्द "परंतु यह और भी कि" के स्थान पर, शब्द "परंतु यह और कि" रख दिये जायेंगे;

(ख) उपधारा (2) निकाल दिया जाएगा;

(ग) उपधारा (3) में,--

(i) शब्द और अंक "और जो धारा 42 या धारा 43 के अधीन वे-मिलान रह गये हैं" निकाल दिये जायेंगे;

(ii) पहले परंतुक में, शब्द और अंक "सितंबर मास के लिए धारा 39 के अधीन विवरणी देने" के स्थान पर, शब्द "तीस नवंबर" रख दिये जायेंगे;

(घ) उपधारा (3) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जायेगी अर्थात्:--

"(4) किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को उपधारा (1) के अधीन किसी कर अवधि के लिए जावक पूर्तियों का व्यौरा प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दी जाएगी, यदि उसके द्वारा किसी पूर्ववर्ती कर अवधि के लिए जावक पूर्तियों का व्यौरा न दिया गया हो:

परंतु यह कि सरकार, परिषद की सिफारिशों पर, अधिसूचना द्वारा, उसमें यथा विनिर्दिष्ट ऐसी शर्तों और निर्बंधनों के अध्यधीन, किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति या रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के वर्ग को उपधारा के (1) के अधीन जावक पूर्तियों का व्यौरा प्रस्तुत करने की अनुमति दे सकती है भले ही उसने पिछली एक या अधिक कर अवधियों के लिए जावक पूर्ति का व्यौरा न दिया हो।"

6-मूल अधिनियम की धारा 38 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जाएगी, अर्थात्:-
 "38-(1) रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों द्वारा धारा 37 की उपधारा (1) के अधीन प्रस्तुत जावक
 पूर्तियाँ और ऐसी अन्य पूर्तियाँ, जो विहित की जायें, के व्यौरे
 तथा इनपुट कर प्रत्यय के व्यौरा से अन्तर्विष्ट स्वतःजनित
 विवरण, ऐसी पूर्तियों के प्राप्तकर्ताओं को इलेक्ट्रॉनिक रूप से, ऐसे
 प्रपत्र में और रीति से, ऐसे समय के भीतर, और ऐसी शर्तों तथा
 निर्बंधनों के अध्यधीन जैसा कि विहित किया जाय, उपलब्ध
 कराये जायेंगे।

धारा 38 के स्थान पर
 नई धारा का रखा
 जाना

आवक पूर्ति के
 व्यौरे तथा इनपुट
 कर प्रत्यय की
 संसूचना

(2) उपधारा (1) के अधीन स्वतःजनित विवरण में निम्नलिखित व्यौरे होंगे, -

(क) आवक पूर्तियों का व्यौरा जिसके संबंध में इनपुट कर प्रत्यय, प्राप्तकर्ता को
 उपलब्ध हो सकता है; और

(ख) पूर्तियों का व्यौरा जिनके संबंध में धारा 37 की उपधारा (1) के अधीन
 प्रस्तुत की जा रही उक्त पूर्तियों के व्यौरा के कारण, प्राप्तकर्ता द्वारा पूर्णतः या आंशिक
 रूप से ऐसे प्रत्यय का उपभोग नहीं किया जा सकता है,-

(i) किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा रजिस्ट्रीकरण ग्रहण करने की यथा
 विहित अवधि के भीतर; या

(ii) किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा, जिसने कर संदाय में चूक की हो और
 जहाँ ऐसी चूक यथा विहित अवधि तक जारी हो; या

(iii) किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा उक्त उपधारा के अधीन प्रस्तुत
 जावकपूर्तियों के विवरण के अनुसार, यथा विहित अवधि के दौरान, संदेय
 आउटपुट कर, उक्त अवधि के दौरान उसके द्वारा संदत्त आउटपुट कर से, यथा
 विहित सीमा से अधिक हो; या

(iv) किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा, यथा विहित अवधि के दौरान उस
 धनराशि के इनपुट कर प्रत्यय जो उसके द्वारा खंड (क) के अनुसार उपभोग किया
 जा सकता है, यथा विहित सीमा से अधिक क्रेडिट प्राप्त किया हो; या

(v) किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा, जिसने यथा विहित शर्तों एवं निर्बंधनों
 के अध्यधीन धारा 49 की उपधारा (12) के उपबंधों के अनुसार अपनी कर देयता
 का निर्वहन करने में चूक की हो; या

(vi) यथा विहित अन्य वर्ग के व्यक्तियों द्वारा।"

7-मूल अधिनियम की धारा 39 में,-

धारा 39 का संशोधन

(क) उपधारा (5) में, शब्द "बीस" के स्थान पर, शब्द "तेरह" रख दिया जाएगा;

(ख) उपधारा (7) में, प्रथम परंतुक के स्थान पर निम्नलिखित परंतुक रख दिया
 जाएगा, अर्थात्:-

"परंतु यह कि उपधारा (1) के परंतुक के अधीन विवरणी प्रस्तुत करने वाला प्रत्येक
 रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति सरकार को यथा विहित प्रपत्र में तथा रीति से एवं समय के भीतर संदाय
 करेगा, -

(क) किसी माह के दौरान माल या सेवाओं या दोनों की आवक तथा
 जावकपूर्तियों, उपभुक्त इनपुट कर प्रत्यय, संदेय कर और ऐसी अन्य विशिष्टियों को ध्यान
 में रखते हुए देय कर के बराबर धनराशि; या

(ख) खंड (क) में निर्दिष्ट धनराशि के बदले में, यथा विहित रीति से और शर्तों एवं
 निर्बंधनों के अध्यधीन अवधारित धनराशि;"

(ग) उपधारा (9) में, --

(i) शब्द और अंक "धारा 37 और 38 के उपबंधों के अध्यधीन यदि" के
 स्थान पर, शब्द "जहाँ" रख दिया जाएगा;

(ii) परंतुक में, शब्द "सितम्बर मास के लिए या वित्तीय वर्ष की समाप्ति के
 पश्चात् दूसरी तिमाही के लिए" के स्थान पर, शब्द " तीस नवम्बर" रख दिये
 जाएंगे;

(घ) उपधारा (10) में, शब्द "नहीं दी गयी है" के स्थान पर, निम्नलिखित शब्द रख दिये जायेंगे, अर्थात्:-

"या उसके द्वारा उक्त कर अवधि के लिए धारा 37 की उपधारा (1) के अधीन जावक पूर्तियों का ब्यौरा नहीं दिया गया है:

परंतु यह कि सरकार, परिषद की सिफारिशों पर, अधिसूचना द्वारा, यथाविनिर्दिष्ट शर्तों और निर्बंधनों के अध्यक्षीन, किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति या रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के वर्ग को विवरणी प्रस्तुत करने की अनुमति दे सकती है भले ही उसने एक या उससे अधिक पूर्व कर अवधियों की विवरणी प्रस्तुत न की हो या उक्त कर अवधि के लिए धारा 37 की उपधारा (1) के अधीन जावक पूर्तियों का ब्यौरा प्रस्तुत न किया हो।"

धारा 41 के स्थान पर
नई धारा का रखा
जाना

8-मूल अधिनियम की धारा 41 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जाएगी, अर्थात्:-

"41-(1) प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, यथा विहित शर्तों और निर्बंधनों के अध्यक्षीन, अपनी कर विवरणी में स्वतः निर्धारित उपयुक्त इनपुट कर प्रत्यय की प्राप्ति का उपभोग करने का हकदार होगा, और ऐसी धनराशि उसके इलेक्ट्रॉनिक प्रत्यय खाते में जमा की जाएगी।

(2) उपधारा (1) के अधीन किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा, माल या सेवाओं या दोनों की ऐसी पूर्तियों के संबंध में उपभुक्त इनपुट कर प्रत्यय, जिन पर संदेय कर पूर्तिकर्ता द्वारा संदत्त न किया गया हो, उक्त व्यक्ति द्वारा यथाविहित रीति से लागू ब्याज सहित प्रतिवर्तित कर दिया जाएगा, :

परंतु यह कि जहां उक्त पूर्तिकर्ता पूर्वोक्त पूर्तियों के संबंध में संदेय कर का संदाय करता है वहां उक्त रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति अपने द्वारा प्रतिवर्तित प्रत्यय की धनराशि का पुनः उपभोग यथाविहित रीति से कर सकता है।"

धारा 42, 43 और
43क का निकाला
जाना

9-मूल अधिनियम की धाराएं 42, 43 और 43क निकाल दी जायेंगी।

धारा 47 का संशोधन

10-मूल अधिनियम की धारा 47 में, उपधारा (1) में, -

(क) शब्द "या अंतर्गामी" निकाल दिया जाएगा;

(ख) शब्द और अंक "या धारा 38" निकाल दिये जाएंगे;

(ग) शब्द और अंक "धारा 39 या धारा 45" के पश्चात्, शब्द और अंक "या धारा 52" बढ़ा दिये जाएंगे।

धारा 48 का संशोधन

11-मूल अधिनियम की धारा 48 में, उपधारा (2) में, शब्द और अंक "धारा 38 के अधीन अंतर्गामी पूर्तियों के ब्यौरे" निकाल दिये जाएंगे।

धारा 49 का संशोधन

12-मूल अधिनियम की धारा 49 में,-

(क) उपधारा (2) में, शब्द, अंक और अक्षर "या धारा 43 क" निकाल दिये जायेंगे;

(ख) उपधारा (4) में, शब्द "ऐसी शर्तों" के पश्चात् शब्द "और निर्बंधन" बढ़ा दिये जाएंगे;

(ग) उपधारा (11) के, पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जाएगी, अर्थात्:-

"(12) इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, सरकार, परिषद की सिफारिशों पर, यथाविहित शर्तों और निर्बंधनों के अध्यक्षीन, इस अधिनियम के अधीन आउटपुट कर देयता का यथाविहित अधिकतम अनुपात विनिर्दिष्ट कर सकती है जिसका निस्तारण, किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति या रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के किसी वर्ग द्वारा इलेक्ट्रॉनिक प्रत्यय खाते के माध्यम से किया जा सकता है।"

धारा 50 का संशोधन

13-मूल अधिनियम की धारा 50 में, उपधारा (3) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी और 1 जुलाई, 2017 से रखी गयी समझी जायेगी, अर्थात्:-

"(3) जहां इनपुट कर प्रत्यय का उपभोग और उपयोग गलत तरीके से किया गया हो वहां रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को ऐसे गलत तरीके से उपभुक्त और उपयोग कृत इनपुट कर प्रत्यय पर अनधिक चौबीस प्रतिशत दर, जैसा कि परिषद की सिफारिशों पर सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाय, से ब्याज का संदाय करना होगा, और ब्याज की गणना ऐसी रीति से की जायेगी जैसा कि विहित किया जाये।

उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2022 द्वारा संशोधित की जाने वाली मूल अधिनियम की संगत धाराओं का उद्धरण।

उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017

धारा 16(2) (ग) धारा 41 या धारा 43 क के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, ऐसे पूर्ति के संबंध में प्रभारित कर का, नकद में या उक्त पूर्ति के संबंध में अनुज्ञेय इनपुट कर प्रत्यय का उपयोग करके वास्तविक रूप से सरकार को संदाय न कर दिया जाए; और

(4) कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, उस वित्तीय वर्ष के, जिससे ऐसा बीजक या ऐसे नामे नोट विलोपित संबंधित है, अंत के अगले सितम्बर मास के लिए धारा 39 के अधीन विवरणी के लिए जाने की देय तारीख के पश्चात् माल या सेवाओं या दोनों की पूर्ति के लिए किसी बीजक या नामे नोट के संबंध में या सुसंगत वार्षिक विवरणी देने के लिए, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, इनपुट कर प्रत्यय लेने का हकदार नहीं होगा:

परन्तु रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति माह सितम्बर, 2018 के लिए धारा 39 के अधीन विवरणी प्रस्तुत करने की सम्यक् तारीख के पश्चात् इनपुट कर प्रत्यय लेने के लिए वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान किए गए माल या सेवाओं या दोनों की पूर्ति के लिए ऐसे नामे नोट से सम्बन्धित किसी बीजक या बीजक से संबंधित माह मार्च, 2019 के लिए उक्त धारा के अधीन विवरणी प्रस्तुत करने की देय तारीख तक हकदार होगा जिसके ब्योरे धारा 37 की उपधारा (1) के अधीन पूर्तिकर्ता द्वारा माह मार्च, 2019 के लिए उक्त धारा की उपधारा (1) के अधीन ब्योरे प्रस्तुत करने के लिए देय तारीख तक अपलोड कर दिए गए हैं।

धारा 29 (2) (ख) धारा 10 के अधीन कर अदा करने वाले व्यक्ति ने, तीन क्रमवर्ती कर अवधियों तक विवरणी नहीं दी है; या

(ग) खंड (ख) में विनिर्दिष्ट व्यक्ति से भिन्न किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति ने लगातार छह मास की अवधि तक विवरणी नहीं दी है; या

धारा 34(2) कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति जो माल या सेवाओं या दोनों की पूर्ति के संबंध में कोई जमा पत्र जारी करता है। ऐसे जमा पत्र के ब्योरे उस मास की विवरणी में घोषित करेगा जिसके दौरान ऐसा साख पत्र जारी किया गया है परन्तु उस वित्तीय वर्ष जिसमें ऐसी पूर्ति की गई थी, के अंत के पश्चात् सितम्बर मास से अपश्चात् या सुसंगत वार्षिक विवरणी फाइल करने की तारीख, जो भी पूर्वतर हो, तथा कर दायित्व ऐसी रीति जो विहित की जाए, में समायोजित किया जाएगा:

परन्तु यदि ऐसी पूर्ति पर कर और ब्याज का प्रभाव किसी अन्य व्यक्ति को पास किया गया है तो पूर्तिकार के आउटपुट कर दायित्व में कोई कमी अनुज्ञात नहीं की जाएगी।

धारा 37(1) किसी इनपुट सेवा वितरक, किसी अनिवासी कर योग्य व्यक्ति और धारा 10, धारा 51 या धारा 52 के उपबन्धों के अधीन कर संदत्त करने वाले किसी व्यक्ति से अन्यथा प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति इलेक्ट्रॉनिक रूप में ऐसे प्ररूप में और रीति में जो विहित की जाए माल या सेवाओं या दोनों की, की गई जावक पूर्तियों के ब्योरे कर अवधि के दौरान उक्त कर अवधि के मास के उत्तरवर्ती 10वें दिन को या उससे पूर्व देगा और ऐसे ब्योरे उक्त पूर्तियों के प्राप्तकर्ता को ऐसी समयावधि के भीतर और ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, संसूचित किए जाएंगे:

परन्तु रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को कर अवधि के उत्तरवर्ती मास के 11वें दिन से 15वें दिन तक की अवधि के दौरान जावक पूर्तियों के ब्योरे देने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा:

परन्तु यह और कि आयुक्त, कारणों को लिखित में अभिलिखित करते हुए अधिसूचना द्वारा कर योग्य व्यक्ति, जो उसमें विनिर्दिष्ट किए जाएं, के ऐसे वर्ग के लिए ऐसे ब्योरे देने के लिए समय सीमा को विस्तारित कर सकेगा:

परन्तु यह और भी कि केन्द्रीय कर आयुक्त द्वारा अधिसूचित समय सीमा का कोई विस्तार आयुक्त द्वारा अधिसूचित किया गया समझा जाएगा:

परन्तु यह और कि उपधारा (1) के अधीन प्रस्तुत किए गए ब्यौरे के संबंध में त्रुटि या लोप का सुधार माह सितम्बर, 2018 के लिए धारा 39 के अधीन विवरणी प्रस्तुत किए जाने के पश्चात् माह मार्च, 2019 या जनवरी, 2019 से मार्च, 2019 तिमाही के लिए ब्यौरे प्रस्तुत करने के लिए देय तारीख तक अनुज्ञात किया जाएगा।

(2) प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जिसको धारा 38 की उपधारा (3) के अधीन ब्यौरे या धारा 38 की उपधारा (4) के अधीन इनपुट सेवा वितरक की आवक पूर्तियों से संबंधित ब्यौरे संसूचित किए गए हैं, 17वें दिन को या इससे पूर्व इस प्रकार संसूचित ब्यौरे को स्वीकार या अस्वीकार करेगा, परन्तु कर अवधि के उत्तरवर्ती मास के 15वें दिन से पूर्व नहीं कर सकेगा तथा उसके द्वारा उपधारा (1) के अधीन दिए गए ब्यौरे तदनुसार संशोधित होंगे।

(3) कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति जिसमें किसी कर अवधि के लिए उपधारा (1) के अधीन ब्यौरे दिए हैं और जो धारा 42 या धारा 43 के अधीन बे-मिलान रह गए हैं, उसमें किसी त्रुटि या लोप का पता लगने पर ऐसी त्रुटि या लोप का ऐसी रीति में जो विहित की जाए, सुधार करेगा, तथा यदि ऐसी कर अवधि के लिए दी जाने वाली विवरणी में ऐसी त्रुटि या लोप के कारण कर का कम संदाय हुआ है तो कर और ब्याज, यदि कोई हो, का संदाय करेगा:

परन्तु उस वित्तीय वर्ष, जिससे ऐसे ब्यौरे संबंधित हैं, के अंत के पश्चात् सितम्बर मास के लिए धारा 39 के अधीन विवरणी देने के पश्चात् या सुसंगत वार्षिक विवरणी देते हुए, जो भी पूर्वतर हैं, उपधारा (1) के अधीन दिए गए ब्यौरे के संबंध में त्रुटि या लोप का कोई सुधार अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।

स्पष्टीकरण—इस अध्याय के प्रयोजन के लिए “जावक पूर्तियों के ब्यौरे” पद के अन्तर्गत किसी कर अवधि के दौरान की गई जावक पूर्तियों के संबंध में जारी बीजक, नामे पत्र, जमा पत्र और पुनरीक्षित बीजक के ब्यौरे हैं।

धारा

38(1) किसी इनपुट सेवा वितरक या किसी अनिवासी कर योग्य व्यक्ति या धारा 10, धारा 51 या धारा 52 के उपबन्धों के अधीन कर संदत्त करने वाले किसी व्यक्ति से अन्यथा प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, यदि अपेक्षित हो, अपनी आवक पूर्तियों और जमा या नामे पत्रों के ब्यौरे तैयार करने के लिए धारा 37 की उपधारा (1) के अधीन संसूचित जावक पूर्तियों और जमा या नामे पत्रों से संबंधित ब्यौरे सत्यापित करेगा, विधि मान्य करेगा, उपांतरित करेगा या हटाएगा और उसमें ऐसी पूर्तियों, जो धारा 37 की उपधारा (1) के अधीन पूर्तिकार द्वारा घोषित नहीं की गई हैं, के संबंध में प्राप्त आवक पूर्तियों और जमा या नामे पत्रों के ब्यौरे सम्मिलित कर सकेगा।

(2) धारा 10 के उपबन्धों के अधीन कर का संदाय करने वाला कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, प्रत्येक वित्तीय वर्ष या उसके किसी भाग के लिए, माल या सेवाओं या दोनों की आवक पूर्तियों, संदेय कर, संदत्त कर और ऐसी अन्य विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए ऐसे प्रारूप तथा रीति में और ऐसे समय के भीतर, जो विहित किया जाय, इलेक्ट्रानिक रूप से राज्य में आवर्त की विवरणी प्रस्तुत करेगा।

(3) धारा 51 के उपबन्धों के अधीन स्रोत पर कर की कटौती करने के लिए अपेक्षित प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति ऐसे प्रारूप और रीति में, जो विहित की जाए, उस मास के लिए जिसमें ऐसी कटौती की गई है, की विवरणी ऐसे मास की समाप्ति के पश्चात् दस दिन के भीतर, इलेक्ट्रानिक रूप में देगा।

(4) किसी इनपुट सेवा वितरक के रूप में रजिस्ट्रीकृत प्रत्येक कर योग्य व्यक्ति प्रत्येक कलैण्डर मास या उसके भाग के लिए ऐसे प्रारूप और रीति में जो विहित की जाए, ऐसे मास की समाप्ति के पश्चात् 13 दिन के भीतर इलेक्ट्रानिक रूप में विवरणी देगा।

(5) प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत अनिवासी कर योग्य व्यक्ति प्रत्येक कलेंडर मास या उसके किसी भाग के लिए ऐसे प्ररूप और रीति में जो विहित की जाए कलेंडर मास के अंत के पश्चात् 20 दिन के भीतर या धारा 27 की उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट रजिस्ट्रीकरण की अवधि के अंतिम दिन के पश्चात् सात दिन के भीतर, जो भी पूर्वतर हो, इलेक्ट्रानिक रूप में विवरणी देगा।

(6) आयुक्त, कारणों को लिखित में अभिलिखित करते हुए, अधिसूचना द्वारा इस धारा के अधीन रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के ऐसे वर्ग के लिए जो उसमें विनिर्दिष्ट किया जाए, विवरणियां देने के लिए समय-सीमा विस्तारित कर सकेगा :

परंतु केंद्रीय कर आयुक्त द्वारा अधिसूचित समय-सीमा का कोई विस्तार आयुक्त द्वारा अधिसूचित किया गया समझा जाएगा।

(7) प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जिससे उपधारा (1) के अधीन विवरणी प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है और जो ऐसे व्यक्ति से भिन्न है, जिसे उसके परंतुक या उपधारा (3) या उपधारा (5) में निर्दिष्ट किया गया है, सरकार को, ऐसी विवरणी के अनुसार देय कर का संदाय अंतिम तारीख, जिस पर उसके द्वारा ऐसी विवरणी प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित हो, से पूर्व करेगा :

धारा

39 (5) प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत अनिवासी कर योग्य व्यक्ति प्रत्येक कलेंडर मास या उसके किसी भाग के लिए ऐसे प्ररूप और रीति में जो विहित की जाए कलेंडर मास के अंत के पश्चात् 20 दिन के भीतर या धारा 27 की उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट रजिस्ट्रीकरण की अवधि के अंतिम दिन के पश्चात् सात दिन के भीतर, जो भी पूर्वतर हो, इलेक्ट्रानिक रूप में विवरणी देगा।

xxx

xxx

xxx

(7) प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जिससे उपधारा (1) के अधीन विवरणी प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है और जो ऐसे व्यक्ति से भिन्न है, जिसे उसके परंतुक या उपधारा (3) या उपधारा (5) में निर्दिष्ट किया गया है, सरकार को, ऐसी विवरणी के अनुसार देय कर का संदाय अंतिम तारीख जिस पर उसके द्वारा ऐसी विवरणी प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित हो, से पूर्व करेगा :

(9) धारा 37 और धारा 38 के उपबंधों के अध्यधीन यदि किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को उपधारा (1) या उपधारा (2) या उपधारा (3) या उपधारा (4) या उपधारा (5) के अधीन विवरणी देने के पश्चात् कर प्राधिकारियों द्वारा संवीक्षा, संपरीक्षा, निरीक्षण या प्रवर्तन क्रियाकलाप के परिणामस्वरूप से अन्यथा, उसमें किसी लोप या अशुद्ध विशिष्टियों का पता चलता है तो वह इस अधिनियम के अधीन ब्याज के संदाय के अध्यधीन, [ऐसे प्ररूप और रीति में, जो विहित की जाए]¹²² दी जाने वाली विवरणी में ऐसे लोप या अशुद्ध विशिष्टियों का सुधार करेगा :

परन्तु [ऐसे वित्तीय वर्ष, जिससे ऐसे ब्यारे संबंधित हो, को समाप्ति]¹²³ के पश्चात् सितंबर मास के लिए या वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात् दूसरी तिमाही के लिए या सुसंगत वार्षिक विवरणी देने की वास्तविक तारीख जो भी पूर्वतर हो, के लिए विवरणी देने की नियत तारीख के पश्चात् किसी लोप या अशुद्ध विशिष्टियों का ऐसा सुधार अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।

(10) किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को किसी कर अवधि के लिए कोई विवरणी देने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा, यदि उसके द्वारा किसी पूर्ववर्ती कर अवधि के लिए विवरणी नहीं दी गई है।

धारा

41 (1) प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, ऐसी शर्तों और निबंधनों जो विहित किए जायं, के अध्यधीन यथा स्वनिर्धारित, पात्र इनपुट कर, का अपनी विवरणी में जमा लेने का हकदार होगा और ऐसी रकम अनंतिम आधार पर उसकी इलेक्ट्रानिक जमा खाता में जमा की जाएगी।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट जमा का उपयोग केवल उक्त उपधारा में निर्दिष्ट विवरणी के अनुसार स्व-निर्धारित आउटपुट कर के संदाय के लिए किया जाएगा।

धारा

42 (1) किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति (जिसे इस धारा में इसके पश्चात् "प्राप्तिकर्ता" कहा गया है) द्वारा किसी कर अवधि के लिए ऐसी रीति में और ऐसी अवधि के भीतर जो विहित की जाए, दिए गए प्रत्येक आवक पूर्ति के ब्यारे;

(क) तत्स्थानी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति (जिसे इस धारा में "पूर्तिकार" कहा गया है) द्वारा उसी कर अवधि या किसी पूर्ववर्ती कर अवधि के लिए उसकी विधिमान्य विवरणी में दी गई जावक पूर्ति के तत्स्थानी ब्यारे के साथ;

(ख) उसके द्वारा आयातित माल के संबंध में सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 3 के अधीन संदत्त समन्वित माल और सेवा कर के साथ; और

(ग) इनपुट कर प्रत्यय के दावों के अनुलिपिकरण के लिए, मिलान किया जाएगा।

(2) उस आवक पूर्ति, जो तत्स्थानी जावक पूर्ति के ब्यौरों के साथ या उसके द्वारा सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 3 के अधीन आयातित माल के संबंध में संदत्त समन्वित माल और सेवा कर के साथ मिलान होता है, के संबंध में बीजकों या नामे पत्रों के संबंध में इनपुट कर प्रत्यय का दावा अंतिम रूप से स्वीकृत किया जाएगा और ऐसी स्वीकृति प्राप्तिकर्ता को ऐसी रीति में जो विहित की जाए, संसूचित की जाएगी।

(3) जहां आवकपूर्ति के संबंध में किसी प्राप्तिकर्ता द्वारा दावाकृत इनपुट कर प्रत्यय उसी पूर्ति के लिए पूर्तिकार द्वारा घोषित कर से अधिक है या पूर्तिकार द्वारा अपनी विधिमान्य विवरणियों में जावक पूर्ति घोषित नहीं की गई है, वहां अंतर दोनों ऐसे व्यक्तियों को ऐसी रीति में जो विहित की जाए संसूचित किया जाएगा।

(4) इनपुट कर जमा के दावों की अनुलिपि प्राप्तिकर्ता को ऐसी रीति में जो विहित की जाए, संसूचित की जाएगी।

(5) कोई रकम, जिसके संबंध में उपधारा (3) के अधीन किसी विसंगति की संसूचना दी गई है और जिसको उस मास की विधिमान्य, विवरणी में पूर्तिकार द्वारा ठीक नहीं किया गया है जिसमें विसंगति संसूचित की गई है, को प्राप्तिकर्ता के उस मास के, जिसमें विसंगति की संसूचना दी गई है, के उत्तरवर्ती मास की विवरणी आउटपुट कर में ऐसी रीति में जोड़ा जाएगा, जो विहित की जाए।

(6) इनपुट कर प्रत्यय के रूप में दावा की गई रकम, जो दावों की आवृत्ति के कारण आधिक्य पाई जाती है, को प्राप्तिकर्ता के आउटपुट कर दायित्व में उस मास, जिसमें आवृत्ति संसूचित की जाती है, की विवरणी में जोड़ा जाएगा।

(7) प्राप्तिकर्ता अपने आउटपुट कर दायित्व से उपधारा (5) के अधीन जोड़ी गई रकम को घटाने का पात्र होगा, यदि पूर्तिकार धारा 39 की उपधारा (9) में विनिर्दिष्ट समय-सीमा के भीतर अपनी विधिमान्य विवरणी में बीजक या नामे नोट के ब्यौरों को घोषित करता है।

(8) कोई प्राप्तिकर्ता, जिसके आउटपुट कर दायित्व में उपधारा (5) या उपधारा (6) के अधीन कोई रकम जोड़ी गई है, प्रत्यय लेने की तारीख से उक्त उपधाराओं के अधीन तत्स्थानी वर्धन किए जाने तक इस प्रकार जोड़ी गई रकम पर धारा 50 की उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट दर पर ब्याज का संदाय करने का दायी होगा।

(9) जहां उपधारा (7) के अधीन आउटपुट कर दायित्व पर किसी कटौती को स्वीकार किया गया है तो उपधारा (8) के अधीन संदत्त ब्याज का प्राप्तिकर्ता को उसकी इलैक्ट्रानिकी रोकड़ खाता में तत्स्थानी शीर्ष में रकम का ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, प्रतिदाय किया जाएगा :

परन्तु किसी भी दशा में प्रत्यय किए गए ब्याज की रकम पूर्तिकार द्वारा संदत्त ब्याज की रकम से अधिक नहीं होगी।

(10) उपधारा (7) के उपबंधों के उल्लंघन में आउटपुट कर दायित्व से घटाई गई रकम को प्राप्तिकर्ता के आउटपुट कर दायित्व में उस मास की उसकी विवरणी में जोड़ा जाएगा, जिसमें ऐसा उल्लंघन होता है और प्राप्तिकर्ता इस प्रकार जोड़ी गई रकम पर धारा 50 की उपधारा (3) में विनिर्दिष्ट दर पर ब्याज का संदाय करने का दायी होगा।

धारा

43 (1) किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति (जिसे इस धारा में इसके पश्चात् "पूर्तिकर्ता" कहा गया है) द्वारा किसी करावधि के लिए बाहर के लिए पूर्ति के लिए प्रस्तुत प्रत्येक प्रत्यय टिप्पण के ब्यौरे का ऐसी रीति में और ऐसे समय के भीतर, जो विहित किया जाए, निम्नलिखित के लिए मिलान किया जाएगा—

(क) तत्स्थानी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति (जिसे इस धारा में इसके पश्चात् "प्राप्तिकर्ता" कहा गया है) द्वारा इनपुट कर प्रत्यय में तत्स्थानी कटौती दावे के लिए उसी करावधि या अन्य पश्चात्पूर्ती करावधि के लिए उसकी विधिमान्य विवरणी में; और

(ख) आउटपुट कर दायित्व में कमी के लिए दावों की आवृत्ति के लिए।

(2) पूर्तिकर्ता द्वारा आउटपुट कर दायित्व में कमी के लिए दावा, जो प्राप्तिकर्ता द्वारा इनपुट कर प्रत्यय में तत्स्थानी दावे में कमी से मिलान करता है, को अंतिमतः स्वीकार किया जाएगा तथा उसकी संसूचना ऐसी रीति में, जो विहित की जाए पूर्तिकर्ता को दी जाएगी।

(3) जहां बाहर के लिए पूर्तियों के सम्बन्ध में आउटपुट कर दायित्व में कमी इनपुट कर दावे में तत्स्थानी कमी से अधिक हो जाती है या तत्स्थानी प्रत्यय टिप्पण की प्राप्तिकर्ता द्वारा उसकी विधिमान्य विवरणियों में घोषणा नहीं की गई है तो इस विसंगति की संसूचना दोनों ऐसे व्यक्तियों को ऐसी रीति में दी जाएगी, जो विहित की जाए।

(4) आउटपुट कर दायित्वों में कमी के लिए दावों की आवृत्ति की संसूचना पूर्तिकर्ता को ऐसी रीति में दी जाएगी, जो विहित की जाए।

(5) वह रकम जिसके संबंध में उपधारा (3) के अधीन कोई विसंगति संसूचित की गई है और जिसको प्राप्तिकर्ता द्वारा उस मास की विवरणी, जिसमें ऐसी विसंगति संसूचित की गई है, की विधिमान्य विवरणी में ठीक नहीं किया गया है, को पूर्तिकर्ता के आउटपुट कर दायित्व में उस मास के पश्चात्पूर्ती मास में, जिसमें विसंगति संसूचित की गई है, की विवरणी में उस रीति में जोड़ दिया जाएगा, जो विहित की जाए।

(6) आउटपुट कर दायित्व में किसी कटौती के संबंध में रकम, जो दावों की आवृत्ति के लेखे पाई जाती है, को पूर्तिकर्ता के आउटपुट कर दायित्व में उस मास की विवरणी में जोड़ दिया जाएगा, जिससे ऐसी आवृत्ति संसूचित की जाती है।

(7) पूर्तिकर्ता अपने आउटपुट कर दायित्व से उपधारा (5) के अधीन जोड़ी गई रकम को घटाने का पात्र होगा यदि प्राप्तिकर्ता अपने प्रत्यय टिप्पण के ब्यौरे को अपनी विधिमान्य विवरणी में धारा 39 की उपधारा (9) के अधीन विनिर्दिष्ट समय के भीतर घोषित कर देता है।

(8) कोई पूर्तिकर्ता, जिसके आउटपुट कर दायित्व में उपधारा (5) या उपधारा (6) के अधीन कोई रकम जोड़ी गई है, इस प्रकार जोड़ी गई रकम के संबंध में आउटपुट कर दायित्व में कटौती के ऐसे दावे की तारीख से उक्त उपधाराओं के अधीन तत्स्थानी जोड़े जाने तक धारा 50 की उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट दर पर ब्याज का संदाय करने का दायी होगा।

(9) जहां उपधारा (7) के अधीन आउटपुट कर दायित्व में किसी कटौती को स्वीकार किया जाता है वहां उपधारा (8) के अधीन संदत्त ब्याज का पूर्तिकर्ता को उसकी इलेक्ट्रॉनिकी रोकड़ खाता में तत्स्थानी शीर्ष में ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, रकम का प्रत्यय करके प्रतिदाय किया जाएगा :

परंतु किसी भी दशा में प्रत्यय किए जाने वाले ब्याज की रकम प्राप्तिकर्ता द्वारा संदत्त ब्याज की रकम से अधिक नहीं होगी।

(10) उपधारा (7) के उपबंधों के उल्लंघन में आउटपुट कर दायित्व से घटाई गई रकम को पूर्तिकर्ता की उस मास की विवरणी के आउटपुट कर दायित्व में जोड़ दिया जाएगा जिसमें ऐसा उल्लंघन होता है और ऐसा पूर्तिकर्ता इस प्रकार जोड़ी गई रकम में धारा 50 की उपधारा (3) में विनिर्दिष्ट दर पर ब्याज का संदाय करने का दायी होगा।

धारा 43 (क) (1) धारा 16 की उपधारा (2) धारा 37 या धारा 38 में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, धारा 39 की उपधारा (1) के अधीन प्रस्तुत विवरणी में, पूर्तिकारों द्वारा की गई पूर्तियों के ब्यौरों का सत्यापन विधिमान्यकरण, उसमें उपांतकरण करेगा या उन्हें निकाल देगा।

(2) धारा 41 धारा 42 या धारा 43 में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, प्राप्तिकर्ता द्वारा इनपुट कर प्रत्यय का उपभोग करने की प्रक्रिया और उसका सत्यापन उस प्रकार किया जाएगा, जैसा कि विहित किया जाय।

(3) प्राप्तिकर्ता द्वारा इनपुट कर प्रत्यय का उपभोग करने के प्रयोजनों के लिए सामान्य पोर्टल पर पूर्तिकार द्वारा जावक पूर्तियों के ब्यौरे प्रस्तुत की प्रक्रिया वही होगी, जैसा कि विहित किया जाय।

(4) उपधारा (3) के अधीन उपलब्ध न करायी गयी जावक पूर्तियों के संबंध में इनपुट कर प्रत्यय का उपभोग करने की प्रक्रिया वही होगी, जैसा कि विहित किया जाय और ऐसी प्रक्रिया में इनपुट कर प्रत्यय की ऐसी अधिकतम रकम सम्मिलित हो सकती है, जिसका इस प्रकार उपभोग किया जा सकता है, जो उक्त उपधारा के अधीन पूर्तिकारों द्वारा प्रस्तुत ब्यौरों के आधार पर उपलब्ध इनपुट कर प्रत्यय के बीस प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

(5) ऐसी जावक पूर्तियों, जिसके लिए पूर्तिकार द्वारा उपधारा (3) के अधीन ब्यौरे प्रस्तुत किये गये हों, में विनिर्दिष्ट कर धनराशि को, अधिनियम के उपबंधों के अधीन उसके द्वारा संदेय कर के रूप में माना जाएगा।

(6) किसी पूर्ति का पूर्तिकार और प्राप्तिकर्ता, संयुक्ततः और पृथकतः जावक पूर्तियों के सम्बन्ध में यथास्थिति उपभोग किये गये, इनपुट कर प्रत्यय का संदाय या कर संदाय करने के लिए दायी होंगे, जिनके लिये ब्यौरे उपधारा (3) या उपधारा (4) के अधीन प्रस्तुत किए गए हों किन्तु विवरणी प्रस्तुत न की गई हो।

(7) उपधारा (6) के प्रयोजनों के लिए, वसूली तथा विहित ऐसी रीति से की जाएगी, और ऐसी प्रक्रिया में गलती से उपमुक्त अनधिक एक हजार रूपए कर या इनपुट कर प्रत्यय की धनराशि की वसूली न करने के लिए उपबंध हो सकता है।

(8) जावक पूर्तियों से सम्बन्धित प्रक्रिया, सुरक्षोपायों तथा कर धनराशि की सीमा के ब्यौरे उपधारा (3) के अधीन किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा निम्नानुसार प्रस्तुत किये जा सकते हैं:-

(i) रजिस्ट्रीकरण प्राप्त करने के छह मास के भीतर,

(ii) जिसने कर के संदाय में व्यतिक्रम किया हो और जहाँ ऐसा व्यतिक्रम व्यतिक्रमित धनराशि के संदाय के देय तारीख से दो मास से अधिक अवधि के लिए जारी रहता है वहाँ वह धनराशि होगी, [जैसा कि विहित किया जाय।]¹²⁶

धारा 47 (1) कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जो धारा 37 या धारा 38 के अधीन अपेक्षित बहिर्गामी या अंतर्गामी पूर्तियों या धारा 39 या धारा 45 के अधीन के ब्यौरे सम्यक् तारीख तक प्रस्तुत करने में असफल रहता है तो वह पाँच हजार रूपये की अधिकतम रकम के अधीन रहते हुए, प्रत्येक ऐसे दिन के लिए जिसके दौरान असफलता जारी रहती है, सौ रूपए विलंब फीस का संदाय करेगा।

धारा 48 (2) कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति किसी अनुमोदित माल और सेवा कर व्यवसायी को धारा 37 के अधीन बहिर्गामी पूर्तियों के ब्यौरे धारा 38 के अधीन अंतर्गामी पूर्तियों के ब्यौरे और धारा 39 या धारा 44, [धारा 45 और ऐसे अन्य कृत्य करने के लिए]¹²⁸ के अधीन विवरणी को ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, प्रस्तुत करने के लिए प्राधिकृत कर सकेगा।

धारा 49 (2) किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति की विवरणी में यथा स्वयं निर्धारित इनपुट कर प्रत्यय का उसकी इलैक्ट्रानिकी प्रत्यय खाता, जिसे ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, में धारा 41 या धारा 43क के अनुसरण में प्रत्यय किया जाएगा।

XXX

XXX

XXX

(4) इलैक्ट्रानिकी प्रत्यय खाता में उपलब्ध रकम का उपयोग इस अधिनियम या एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 के अधीन आउटपुट कर दायित्व का संदाय करने के लिए ऐसी रीति में और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए तथा ऐसे समय के भीतर, जो विहित किया जाए, किया जा सकेगा।

धारा 50 (3) कोई कराधेय व्यक्ति, जो धारा 42 की उपधारा (10) के अधीन इनपुट कर प्रत्यय का असम्यक् या आधिक्य या दावा करता है या धारा 43 की उपधारा (10) के अधीन आउटपुट कर दायित्व में असम्यक् या आधिक्य कटौती का दावा करता है, तो वह यथास्थिति, ऐसे असम्यक् या आधिक्य दावे या ऐसी असम्यक् या आधिक्य कटौती पर केन्द्रीय सरकार द्वारा परिषद् की सिफारिशों पर यथा अधिसूचित चौबीस प्रतिशत से अनधिक पर ब्याज का संदाय करेगा।

धारा 52 (6) यदि कोई प्रचालक उपधारा (4) के अधीन विवरण प्रस्तुत करने के पश्चात् उसमें कोई लोप या गलत विशिष्टियां पाता है, जो कि संवीक्षा, संपरीक्षा, निरीक्षण या कर प्राधिकारियों के प्रवर्तन कार्यकलापों से भिन्न है तो वह ऐसे उस मास, जिसके दौरान ऐसा लोप या गलत विशिष्टियां ध्यान में आई हैं, के लिए प्रस्तुत किए जाने वाले विवरण में लोप या गलत विशिष्टियों को धारा 50 की उपधारा (1) में यथाविनिर्दिष्ट ब्याज के संदाय के अधीन रहते हुए ठीक करेगा:

परन्तु ऐसे लोप या गलत विशिष्टियों के ऐसे शुद्ध करने को वित्त वर्ष की समाप्ति के पश्चात् सितंबर मास का विवरण प्रस्तुत करने के लिए सम्यक् तारीख या सुसंगत वार्षिक विवरण प्रस्तुत करने की वास्तविक तारीख, जो भी पूर्वतर हो, के पश्चात् अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।

धारा 54 (1) कोई व्यक्ति, जो किसी कर और ऐसे कर पर संदत्त ब्याज, यदि कोई हो तो, या उसके द्वारा संदत्त किसी रकम के प्रतिदाय का दावा करता है वह सुसंगत तारीख से दो वर्ष के अवसान से पूर्व ऐसे प्ररूप और ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, आवेदन कर सकेगा:

परन्तु कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जो धारा 49 की उपधारा (6) के उपबंधों के अनुसरण में इलैक्ट्रानिक रोकड़ खाता में किसी शेष के प्रतिदाय का दावा करता है वह धारा 39 के अधीन प्रस्तुत विवरणी में ऐसे प्रतिदाय का ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, दावा कर सकेगा।

(2) संयुक्त राष्ट्र संघ का कोई विशेषीकृत अभिकरण या कोई अन्य बहुपक्षीय वित्तीय संस्था और संगठन जो संयुक्त राष्ट्र (विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां) अधिनियम, 1947 के अधीन अधिसूचित है, विदेशी राज्यों के कन्सुलेट या दूतावास या कोई अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों का वर्ग जो धारा 55 के अधीन अधिसूचित है, उसके द्वारा मालों या सेवाओं या दोनों की अंतर्गामी पूर्तियों के लिए संदत्त कर का प्रतिदाय करने के लिए ऐसे प्रतिदाय के लिए ऐसे प्ररूप और रीति में, जो विहित किया जाए, में उस तिमाही, जिसमें पूर्ति प्राप्ति की गई थी, के अंतिम दिन से छह मास के अवसान से पूर्व आवेदन कर सकेगा।

XXX

XXX

XXX

(10) जहां किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति की उपधारा (3) के अधीन कोई प्रतिदाय देय है, जिसने कोई विवरणी प्रस्तुत करने में व्यतिक्रम किया है या जिसमें कोई कर, ब्याज या शास्ति का संदाय किए जाने की अपेक्षा है, जिस पर किसी न्यायालय, अधिकरण या अपील प्राधिकारी ने विनिर्दिष्ट तारीख तक कोई रोक नहीं लगाई है, समुचित अधिकारी—

(क) उक्त व्यक्ति द्वारा विवरणी प्रस्तुत करने या यथास्थिति, कर ब्याज या शास्ति का संदाय किए जाने तक शोध्य प्रतिदाय के संदाय को विधायित कर सकेगा;

(ख) शोध्य प्रतिदाय में से किसी कर, ब्याज, शास्ति, फीस या किसी रकम की, जिसका संदाय करने के लिए कराधेय व्यक्ति दायी है किन्तु जो इस अधिनियम या विद्यमान विधि के अधीन असंदत रहती है, कटौती कर सकेगा।

स्पष्टीकरण—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए “विनिर्दिष्ट तारीख” से इस अधिनियम के अधीन अपील फाइल करने की अंतिम तारीख अभिप्रेत है।

आज्ञा से,
प्रदीप कुमार दुबे,
प्रमुख सचिव।

UTTAR PRADESH SARKAR
SANSADIYA KARYA ANUBHAG-1

No. 493/XC-S-1-22-22S-2022
Dated Lucknow, September 27, 2022

NOTIFICATION
MISCELLANEOUS

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Maal Aur Seva Kar (Sanshodhan) Vidheyak, 2022 introduced in the Uttar Pradesh Legislative Assembly on September 20, 2022.

THE UTTAR PRADESH GOODS AND SERVICES TAX (AMENDMENT)

BILL, 2022

A

BILL

further to amend the Uttar Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017.

IT IS HEREBY enacted in the Seventy third Year of the Republic of India as follows :-

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Goods and Services Tax (Amendment) Act, 2022. Short title and commencement
- (2) Save as otherwise provided in this Act,-
 - (a) Section 1 of this Act shall come into force with effect from 30th March, 2022;
 - (b) The other provisions of this Act shall come into force on such date as the State Government may, by notification in the Official Gazette, appoint :
Provided that different dates may be appointed for different provisions of this Act.
2. In the Uttar Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (hereinafter referred to as the principal Act), in section 16,- Amendment of section 16
 - (a) in sub-section (2)-
 - (i) *after* clause (b), the following clause shall be *inserted*, namely:—
“(ba) the details of input tax credit in respect of the said supply communicated to such registered person under section 38 has not been restricted;”;
 - (ii) in clause (c), the words, figures and letter “or section 43A” shall be *omitted*;
 - (b) in sub-section (4), *for* the words and figures “due date of furnishing of the return under section 39 for the month of September”, the words “thirtieth day of November” shall be *substituted*.
3. In section 29 of the principal Act, in sub-section (2), — Amendment of section 29
 - (a) in clause (b), *for* the words “returns for three consecutive tax periods”, the words “the return for a financial year beyond three months from the due date of furnishing the said return” shall be *substituted*;
 - (b) in clause (c), *for* the words “a continuous period of six months”, the words “such continuous tax period as may be prescribed” shall be *substituted*:-

Amendment of
section 34

4. In section 34 of the principal Act, in sub-section (2), *for* the word “September”, the words “the thirtieth day of November” shall be *substituted*.

Amendment of
section 37

5. In section 37 of the principal Act,—

(a) in sub-section (1)—

(i) *after* the words “shall furnish, electronically,”, the words “subject to such conditions and restrictions and” shall be *inserted*;

(ii) *for* the words “shall be communicated to the recipient of the said supplies within such time and in such manner as may be prescribed”, the words “shall, subject to such conditions and restrictions, within such time and in such manner as may be prescribed, be communicated to the recipient of the said supplies” shall be *substituted*;

(iii) the first proviso shall be *omitted*;

(iv) in the second proviso, *for* the words “Provided further that”, the words “Provided that” shall be *substituted*;

(v) in the third proviso, *for* the words “Provided also that”, the words “Provided further that” shall be *substituted*;

(b) sub-section (2) shall be *omitted*;

(c) in sub-section (3),—

(i) the words and figures “and which have remained unmatched under section 42 or section 43” shall be *omitted*;

(ii) in the first proviso, *for* the words and figures “furnishing of the return under section 39 for the month of September”, the words “the thirtieth day of November” shall be *substituted*;

(d) *after* sub-section (3), the following sub-section shall be *inserted*, namely:—

“(4) A registered person shall not be allowed to furnish the details of outward supplies under sub-section (1) for a tax period, if the details of outward supplies for any of the previous tax periods has not been furnished by him:

Provided that the Government may, on the commendations of the Council, by notification, subject to such conditions and restrictions as may be specified there in, allow a registered person or a class of registered persons to furnish the details of outward supplies under sub-section (1), even if he has not furnished the details of outward supplies for one or more previous tax periods.”.

Substitution of
new section for
section 38

6. *For* section 38 of the principal Act, the following section shall be *substituted*, namely:—

“38. (1) The details of outward supplies furnished by the registered persons under sub-section (1) of section 37 and of such other supplies as may be prescribed, and an auto generated statement containing the details of input tax credit shall be made available electronically to the recipients of such supplies in such form and manner, with in such time, and subject to such conditions and restrictions as may be prescribed.

Communication
of details of
inward supplies
and input tax
credit

- (2) The auto-generated statement under sub-section (1) shall consist of—
- (a) details of inward supplies in respect of which credit of input tax may be available to the recipient; and
 - (b) details of supplies in respect of which such credit cannot be availed, whether wholly or partly, by the recipient, on account of the details of the said supplies being furnished under sub-section (1) of section 37,—
 - (i) by any registered person within such period of taking registration as may be prescribed; or
 - (ii) by any registered person, who has defaulted in payment of tax and where such default has continued for such period as may be prescribed; or
 - (iii) by any registered person, the output tax payable by whom in accordance with the statement of outward supplies furnished by him under the said sub-section during such period, as may be prescribed, exceeds the output tax paid by him during the said period by such limit as may be prescribed; or
 - (iv) by any registered person who, during such period as may be prescribed, has availed credit of input tax of an amount that exceeds the credit that can be availed by him in accordance with clause (a), by such limit as may be prescribed; or
 - (v) by any registered person, who has defaulted in discharging his tax liability in accordance with the provisions of sub-section (12) of section 49 subject to such conditions and restrictions as may be prescribed; or
 - (vi) by such other class of persons as may be prescribed.”.

7. In section 39 of the principal Act,—

Amendment of
section 39

(a) in sub-section (5), *for* the word “twenty”, the word “thirteen” shall be *substituted*;

(b) in sub-section (7), *for* the first proviso, the following proviso shall be *substituted*, namely: —

“Provided that every registered person furnishing return under the proviso to sub-section (1) shall pay to the Government, in such form and manner, and within such time, as may be prescribed,—

(a) an amount equal to the tax due taking into account inward and outward supplies of goods or services or both, input tax credit availed, tax payable and such other particulars during a month; or

(b) *in lieu of* the amount referred to in clause (a), an amount determined in such manner and subject to such conditions and restrictions as may be prescribed.”;

(c) in sub-section (9), —

(i) *for* the words and figures “Subject to the provisions of sections 37 and 38, if”, the word “Where” shall be *substituted*;

(ii) in the proviso, *for* the words “the due date for furnishing of return for the month of September or second quarter”, the words “the thirtieth day of November” shall be *substituted*;

(d) in sub-section (10), *for* the words “has not been furnished by him”, the following shall be *substituted*, namely:—

“or the details of outward supplies under sub-section (1) of section 37 for the said tax period has not been furnished by him:

Provided that the Government may, on the recommendations of the Council, by notification, subject to such conditions and restrictions as may be specified there in, allow a registered person or a class of registered persons to furnish the return, even if he has not furnished the returns for one or more previous tax periods or has not furnished the details of outward supplies under sub-section (1) of section 37 for the said tax period.”.

Substitution of new section for section 41	<p>8. For section 41 of the principal Act, the following section shall be <i>substituted</i>, namely:—</p> <p>“41. (1) Every registered person shall, subject to such conditions and restrictions as may be prescribed, be entitled to avail the credit of eligible input tax, as self-assessed, in his return and such amount shall be credited to his electronic credit ledger.</p> <p>(2) The credit of input tax availed by a registered person under sub-section (1) in respect of such supplies of goods or services or both, the tax payable whereon has not been paid by the supplier, shall be reversed along with applicable interest, by the said person in such manner as may be prescribed:</p> <p>Provided that where the said supplier makes payment of the tax payable in respect of the aforesaid supplies, the said registered person may re-avail the amount of credit reversed by him in such manner as may be prescribed.”</p>
Omission of sections 42, 43 and 43A	<p>9. Sections 42, 43 and 43A of the principal Act shall be <i>omitted</i>.</p>
Amendment of section 47	<p>10. In section 47 of the principal Act, in sub-section (1), —</p> <p>(a) the words “or inward” shall be <i>omitted</i>;</p> <p>(b) the words and figures “or section 38” shall be <i>omitted</i>;</p> <p>(c) <i>after</i> the words and figures “section 39 or section 45”, the words and figures “or section 52” shall be <i>inserted</i>.</p>
Amendment of section 48	<p>11. In section 48 of the principal Act, in sub-section (2), the words and figures “, the details of inward supplies under section 38” shall be <i>omitted</i>.</p>
Amendment of section 49	<p>12. In section 49 of the principal Act,—</p> <p>(a) in sub-section (2), the words, figures and letter “or section 43A” shall be <i>omitted</i>;</p> <p>(b) in sub-section (4), <i>after</i> the words “subject to such conditions”, the words “and restrictions” shall be <i>inserted</i>;</p> <p>(c) <i>after</i> sub-section (11), the following sub-section shall be <i>inserted</i>, namely:—</p> <p>“(12) Notwithstanding anything contained in this Act, the Government may, on the recommendations of the Council, subject to such conditions and restrictions, specify such maximum proportion of output tax liability under this Act which may be discharged through the electronic credit ledger by a registered person or a class of registered persons, as may be prescribed.”</p>
Amendment of section 50	<p>13. In section 50 of the principal Act, <i>for</i> sub-section (3), the following sub-section shall be <i>substituted</i> and shall be deemed to have been <i>substituted</i> with effect from the 1st day of July, 2017, namely:—</p> <p>“(3) Where the input tax credit has been wrongly availed and utilised, the registered person shall pay interest on such input tax credit wrongly availed and utilised, at such rate not exceeding twenty-four per cent. as may be notified by the Government, on the recommendations of the Council, and the interest shall be calculated, in such manner as may be prescribed.”</p>
Amendment of section 52	<p>14. In section 52 of the principal Act, in sub-section (6), in the proviso, <i>for</i> the words “due date for furnishing of statement for the month of September”, the words “thirtieth day of November” shall be <i>substituted</i>.</p>

15. In section 54 of the principal Act, —

Amendment of
section 54

(a) in sub-section (1), in the proviso, *for* the words and figures “the return furnished under section 39 in such”, the words “such form and” shall be *substituted*;

(b) in sub-section (2), *for* the words “six months”, the words “two years” shall be *substituted*;

(c) in sub-section (10), the words, brackets and figure “under sub-section (3)” shall be *omitted*;

(d) in the Explanation, in clause (2), *after* sub-clause (b), the following sub-clause shall be *inserted*, namely:—

“(ba) in case of zero-rated supply of goods or services or both to a Special Economic Zone developer or a Special Economic Zone unit where a refund of tax paid is available in respect of such supplies themselves, or as the case may be, the inputs or input services used in such supplies, the due date for furnishing of return under section 39 in respect of such supplies;”.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Uttar Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (U. P. Act no. 1 of 2017), hereafter referred to the said Act, has been enacted to make a provision for levy and collection of tax on intra-state supply of goods or services or both by the State of Uttar Pradesh and the matters connected therewith or incidental thereto.

2. The said Act, provides for certain provisions for smooth transition of existing tax payers to new goods and service tax regime. However the new tax regime had faced certain difficulties. One of the many inconveniences caused to the small and medium tax payers was the complex process of filing return and claiming input tax credit under the Goods and Services Tax laws. In this regard the proposed changes envisages certainty in claims of input tax credit and end of two way communication of input tax credit verification for taxpayers. In order to implement above changes and also to overcome other difficulties, it was decided to amend the said Act by amending the relevant sections of the said Act.

The Uttar Pradesh Goods and Services Tax (Amendment) Bill, 2022 is introduced accordingly.

YOGI ADITYANATH
Mukhya Mantri.

By order,
J. P. SINGH-II,
Pramukh Sachiv.